

संलग्नक- 'इ'

[ अनुसूची 1 का पैराग्राफ 4(2) देखें ]

**जीडीआर/एडीआर के निर्गम का प्रबंध करनेवाली भारतीय कंपनी द्वारा फाइल की जानेवाली विवरणी**

1.	कंपनी का नाम		
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता		
3.	पत्राचार के लिए पता		
4.	वर्तमान कारोबार (उस कार्यकलाप का एनआइसी कूट दें जिसमें कंपनी मुख्य रूप से कार्यरत है )		
5.	जीडीआर/एडीआर उगाहने के प्रयोजन के ब्योरे। यदि निधियां समुद्रपारीय निवेश के लिए उपयोग की गई हों, तो उसके ब्योरे		
6.	विदेश के डिपाजिटरी का नाम और पता		
7.	अग्रणी/ प्रबंधक निवेश/ मर्चेंट बैंकर का नाम और पता		
8.	निर्गम के उप-प्रबंधकों के नाम और पते		
9.	भारतीय अधिकारियों के नाम और पते		
10.	विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन के ब्योरे (अगर जीडीआर स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत जारी किए जाते हैं तो संबद्ध एनआइसी कूट कोट करें)		
11.	क्या विदेशी निवेश के लिए कोई समग्र क्षेत्रीय सीमा लागू है? अगर हाँ, तो कृपया ब्योरे दें		
12.	ईक्विटी पूंजी के ब्योरे	निर्गम से पहले	निर्गम के बाद
क)	<b>प्राधिकृत पूंजी</b>		
ख)	<b>निगमित तथा प्रदत्त पूंजी</b>		
	i)	भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा धारित	
	ii)	विदेशी संस्थागत निवेशकों/ अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/ समुद्रपारीय निगमित निकायों से इतर विदेशी निवेशकों द्वारा धारित (प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक धारित करनेवाले विदेशी निवेशकों की सूची तथा उनमें प्रत्येक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रस्तुत किया जाए)	
	iii)	अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/ विदेशी कंपनी निकायों द्वारा धारित	
	iv)	विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा धारित	
ग)	कुल प्रदत्त पूंजी में अनिवासियों द्वारा धारित कुल ईक्विटी का प्रतिशत		
13.	क्या निर्गम निजी व्यवस्था आधार पर था? अगर हाँ, तो		

	निवेशकों तथा प्रत्येक को जारी एडीआर/ जीडीआर के ब्योरे दें		
14.	जारी जीडीआर/एडीआर की संख्या		
15.	जीडीआर/एडीआर पर अंडरलाइंग शेयरों का अनुपात		
16.	<u>निर्गम से संबंधित खर्चे</u>		
	(क) मर्चेट बैंकरों/अग्रणी प्रबंधक को अदा की गई/ देय शुल्क		
	(i) राशि (अमरीकी डॉलर, आदि में)		
	(ii) कुल निर्गम के प्रतिशत के तौर पर राशि		
	(ख) अन्य खर्चे		
17.	क्या निधियां विदेश में रखी गई हैं? अगर हाँ, तो बैंक का नाम और पता		
18.	सूचीबद्ध करने की व्यवस्था के ब्योरे		
	स्टॉक एक्सचेंज का नाम		
	ट्रेडिंग शुरू करने की तारीख		
19.	एडीआर/जीडीआर निर्गम आरंभ करने की तारीख		
20.	उगाही गई राशि (अमरीकी डॉलर में)		
21.	प्रत्यावर्तित राशि (अमरीकी डॉलर में)		
प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया गया है।			
ह./-	सनदी लेखाकार	ह./-	कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी

